देवांजलि

अंक - 1

वर्ष - 2014

भाकृअनुप-राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संस्थान
12, रीजेन्ट पार्क, कोलकाता - 700040

विषय सूची

पृष्ठ सं.

- व्यापार उष्मायन : जूट एवं समवर्गी रेशा उत्पादों के बाजार को गतिशील बनाने में भूमिका — 01
  डॉ. देवाशीष नाग
- जूट को फफूंद विधि से शुष्क सड़ाना–जल की बचत — 07
  डॉ. श्यामल बनिक
- जूट से अलंकरण वस्त्र : मूल्यसंवर्धन में नया खोज — 11
  डॉ. आलोक नाथ रॉय
- पटसन विपणन : समस्या व निदान — 17
  शैलेश कुमार, षम्ना ए., एस. के. पाण्डेय एवं एच. चौधरी
- विविध जूट उत्पादों के लिए परियोजना के विकास — 25
  डॉ. एस. बी. रॉय
- जूट के रासायनिक परिष्करण – एक जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण — 31
  डॉ. निमाई चन्द्र पान
- केला रेशा का निष्कर्षण एवं उपयोगिता — 37
  डॉ. एल. के. नायक
- निरजैफ्ट समाचार दर्शन – 2014 — 41
  श्री आर.डी. शर्मा, श्री के. मित्रा, श्री टी.के. कुंडु
- जूट एवं मेस्ता से रेशा निष्कर्षण में यंत्रीकरण — 53
  डॉ. वी. बी. शंभू
- जूट भू–वस्त्र : उत्पादन और उपयोग में हाल का विकास — 57
  डॉ. जी. बसु
- संस्थान की हिन्दी गतिविधियाँ — 65
  डॉ. देवाशीष नाग
- राजभाषा संबंधी जानकारी — 69
  श्री आर. डी. शर्मा
- कम्प्यूटर नेटवर्क — 73
  सूजय दास

पृष्ठ सं.

❖ रोजगार के अवसर और हिन्दी — 77
रमाकान्त मिश्र, पिन्टू कुमार

❖ सामंती व्यवस्था मीरा एवं नारी जाति विद्रोह — 83
राम दयाल शर्मा, रूपेश कुमार साव

❖ राष्ट्रीय राजभाषा के समक्ष चुनौतियाँ — 85
रमाकान्त मिश्र, पिन्टू कुमार

❖ भ्रष्टाचार का मुकाबला : प्रौद्योगिकी के माध्यम से — 89
के. एल. अहिरवार

❖ विनम्रता सफलता की कुंजी है — 93
रूपेश कुमार साव

❖ निरजैफ्ट की चित्रकथा — 95
श्री आर.डी. शर्मा, श्री के. मित्रा

❖ जीवन की ओर एक कदम और......... — 101
आशुतोष कुमार विश्वकर्मा

❖ स्वप्निल का स्वप्न — 102
सत्य प्रकाश "भारतीय"

❖ दो नम्बर के अमीर — 105
काली चरण गुप्त 'सय्याद'

❖ चिटफंड घोटाला — 107
करूणामय पात्र, टी–5

❖ मैं हूँ राजा — 108
कौशिक मान्ना

❖ बाबा — 109
लोकनाथ तिवारी

❖ संभलने तो दीजिए — 110
आशुतोष कुमार विश्वकर्मा

❖ दिल की आवाज सुनो — 111
सत्य प्रकाश 'भारतीय'

❖ कौन हो तुम, हे अजनबी — 113
राम दयाल शर्मा

भाकृअनुप
ICAR

पटसन विपणन : समस्या व निदान

शैलेश कुमार*, षम्ना ए.**, एस. के.पाण्डेय* एवं एच. चौधरी***

पटसन भारत के पूर्वी व उत्तर के राज्यों में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अनुकूल रेशा फसल है। इसकी खेती लगभग 8 लाख है0 में लगभग 40 लाख लघु व सीमान्त कृषकों द्वारा की जाती है। पश्चिम बंगाल पटसन के उत्पादन तथा क्षेत्रफल में देश का एक अग्रणी राज्य है। इसके अलावा इसकी खेती बिहार, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, मेघालय तथा उत्तर प्रदेश में की जाती है। पटसन एक वार्षिक पुर्नजीवित होने वाला संसाधन है । इससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में उच्च बायोमास/जैव–ईंधन का उत्पादन होता है। साथ ही यह सामान्य वृक्ष की तुलना में तीन गुणा ज्यादा कार्बन डाईआक्साइड का अवशोषण कर वायु को शुद्ध करता है। यह लगभग चार माह की फसल है तथा इसकी खेती मुख्यतः बारानी दशा में मध्य मार्च से जुलाई माह के अंत तक की जाती है। इसकी दो व्यापारिक किस्में तोषा (कारकोरस ऑलीटोरियस) व सादा (कारकोरस कैपसूलरिस) की सफलतापूर्वक खेती की जाती है। सादा पटसन की तुलना में तोषा पटसन की उपज ज्यादा होती है तथा वरीयता के आधार पर उपजाऊँ दशा में बोई जाती है। सादा पटसन की खेती उच्च व निम्न दोनों तरह की भूमि में की जा सकती है। यह जलक्रान्त की दशा भी सहने में सक्षम होता है। इसकी हरी पत्तियों का सेवन सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें गुणवत्तापरक औषधीय व पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके पत्तियों में वीटा कैरोटीन, विटामिन सी., लौह, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। साथ ही इसका प्रयोग शाकीय औषधि के रूप में गैस्ट्रीक, पेचिश, ज्वर/बुखार आदि के इलाज में भी किया जाता है। इस रेशा फसल का उपयोग मुख्यतः पैकेजिंग, टेक्सटाइल व गैर–टेक्सटाइल, निर्माण और कृषि क्षेत्रों में किया जाता है। पटसन रेशा का उपयोग मुख्यतः चार प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए होता है (हेसियन, सैकिंग कैनवास एवं जूट यार्न/टवाइन)। कुल पटसन निर्मित वस्तुओं का करीब 75 प्रतिशत भाग/हिस्सा पैकेजिंग सामग्री, हेसियन व सैक का होता है। निम्न श्रेणी के पटसन रेशा से वजनी वस्तुओं के पैकिंग के लिए सैकिंग का उत्पादन होता है। महीन व उत्तम श्रेणी के धागों से बने थैलों व कपड़ों का उपयोग हेसियन के रूप में किया जाता है। कैनवास सबसे उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है। यह घने रूप में उत्तम श्रेणी के धागों से बनता है। जूट यार्न का इस्तेमाल कपास मिश्रित वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है। जूट टवाइन का उपयोग सिलने, बांधने एवं औद्योगिक क्षेत्रों जैसे पाइप के जोड़, केबल बाइण्डिग में किया जाता है।

गर्म व आद्र वातावरण पटसन उत्पादन के लिए अनुकूल होता है। इसकी खेती में निराई तथा निष्कर्षण व रेशा सड़न (जल की अधिक मात्रा में सूक्ष्मजीवों द्वारा नियंत्रित अपघटन) दो मुख्य गतिविधियाँ होती है, जिसमें कुल उत्पादन लागत का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है। पटसन के 110–120 दिन पुराने हरे तनों के बण्डलों को (18–20 से0मी0 व्यास वाले) कटाई के बाद धीमी गति से बहने वाले जल में 18–21 दिनों तक सड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में डंठल छाल (रेशा) ढ़ीले हो कर अलग हो जाते हैं। इन रेशों को पौधों के डंठल से अलग कर (निष्कर्षण) जल में धोया जाता है। धुले हुए रेशों को धूप में सुखा कर बिक्री के लिए बण्डल (1 बेल=180 कि0 ग्रा0) में बाँध कर रखा जाता है।

पटसन विपणन की स्थिति :

खाद्यान्न फसलों की तुलना में पटसन का मूल्य बाजार की माँग पर आश्रित होती है। पटसन विपणन में रेशा उत्पाद का प्रवाह विभिन्न विपणन चैनलों के माध्यम से कृषक उत्पादक से मिल उपभोक्ता की तरफ होता है। सामान्यतया रेशा का मूल्य

* वरिष्ठ वैज्ञानिक, आई0 सी0 ए0 आर0– के0 प0 एवं स0 र0 अनु0 सं0, बैरकपुर, कोलकाता– 700 120 (पश्चिम बंगाल)
** वैज्ञानिक, आइ0 सी0 ए0 आर0– के0 प0 एवं स0 र0 अनु0 स0, बैरकपुर, कोलकाता– 700 120 (पश्चिम बंगाल)
***प्रधान वैज्ञानिक, आई0 सी0 ए0 आर0– के0 प0 एवं स0 रे0 अनु0 सं0, बैरकपुर, कोलकाता– 700 120 (पश्चिम बंगाल)

'हस्त व दृष्टि विधि' द्वारा निर्धारित किया जाता है। हस्त विधि द्वारा इसके रंग, जड़ अवशेष, दोष व उत्तमता का निर्धारण किया जाता है। आई0 एस0 271–1975 के अनुरूप रेशा शक्ति के आधार पर (सादा–17.4–29.5 ग्रा0/टेक्स तथा तोषा 14.9–27.0 ग्रा0/टेक्स) पटसन की आठ श्रेणी (टी0डी0 1–8) होती है। पटसन की रेशा गुणवत्ता विभिन्न कारकों जैसे– उत्पादन की विधि, रोग–व्याधि, सड़न, वातावरण आदि द्वारा प्रभावित होता है। केवल अनुकूल परिस्थिति वाले क्षेत्रों में ही उत्तम गुणवत्ता वाले रेशे की उपलब्धता होती है। टी0डी0 1–4 श्रेणी तक रेशा की गुणवत्ता उत्तम (कुल उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत) होती है। देश में टी0डी0 5 श्रेणी वाले पटसन का सर्वाधिक (करीब 40 प्रतिशत) उत्पादन होता है। भारत सरकार इस श्रेणी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है (तालिका 1)। कुल पटसन उत्पादन का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा टी0डी0 श्रेणी 6, 7 एवं 8 का होता है। पटसन उत्पादन

तालिका 1रू वर्षवार कच्चा पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (टी0डी0 5) तथा कुल उत्पादन

वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 / कु0)	कुल उत्पादन (लाख बेल)	जे.सी.आई. द्वारा क्रय (लाख बेल)
2000-01	785	90.0	4.54
2001-02	810	105.0	2.45
2002-03	850	110.0	13.09
2003-04	860	90.0	11.22
2004-05	890	75.0	3.56
2005-06	910	85.0	1.41
2006-07	1,000	100.0	4.84
2007-08	1,055	99.0	7.66
2008-09	1,250	82.0	1.02
2009-10	1,375	90.0	0.01
2010-11	1,575	100.0	0.34
2011-12	1,675	102.5	1.56
2012-13	2,200	93.0	3.64
2013-14*	2,300	95.0	1.69

स्त्रोतरू जूट एडवाइजरी बोर्ड, मिनिस्ट्री आफ टेक्सटाइल्स, गवर्मेन्ट आफ इण्डिया

*27.01.2014 तक

में वर्षवार उतार–चढ़ाव पिछले वर्ष के बाजार भाव के अलावा मौसम की दशा पर निर्भर करता है। साधारणतया पटसन विपणन में दो तरह की स्थितियाँ होती हैं। पहला, अनुकूल मौसम में अत्याधिक पैदावार होने पर पटसन मिलों द्वारा निम्नतम बाजार भाव पर पटसन रेशा खरीद की प्राथमिकता होती है। दूसरा, प्रतिकूल मौसम में कम उत्पादन होने पर पटसन मिल द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर कच्चे माल की खरीद की जाती है। दोनों ही परिस्थितियों में बिचौलियों की भूमिका

प्रभावी होती है। पटसन उत्पादन कृषक का लाभ अनुपात दिनों–दिन कृषि आगतों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि तथा सस्ते एवं मजबूत सिन्थेटिक पदार्थ से प्रतिस्पर्धा के कारण घटती जा रही है। यह एक अल्प मशीनीकरण वाली फसल है। इसके निराई, सड़न व रेशा निष्कर्षण में होने वाले श्रम मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पटसन उत्पादन की क्रान्तिक क्रियायें जैसे–कटाई, सड़न, रेशा निष्कर्षण एवं इसे सुखा कर बण्डल बनाना आदि धान रोपाई के साथ मेल खाने से श्रम की उपलब्धता में समस्या होती है। उपरोक्त दशा में पटसन उत्पादन एक गैर–लाभकारी कार्य बन गया है। सामान्यतः पटसन उत्पादक अल्प पूँजी वाला, लघु तथा बिखरे जोत वाला होता है। उसकी प्राथमिकता रेशा निष्कर्षण के बाद शीघ्रातिशीघ्र बेच कर घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अगली फसल की शस्य क्रिया शुरू करने की होती है। रेशा फसल के स्थूल व ज्वलनशील प्रकृति के कारण उत्पादक कृषकों द्वारा लम्बे समय तक संग्रहण से परहेज किया जाता है। इस तरह स्थान व समय की कमी के कारणएक उत्पादक अपने उत्पादन का करीब 95 प्रतिशत हिस्सा की बिक्री रेशा निष्कर्षण के तुरंत बाद ही विक्रय अधिशेष के रूप में कर देते हैं। उनके द्वारा बेचे गए रेशे की श्रेणी सामान्यतः टी0डी0 6–7 होती है। जिसका बाजार भाव घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (टी0डी0 5) से भी कम होता है। कृषकों द्वारा रेशा फसल की बिक्री कटाई के 4–5 माह के बाद अक्टूबर–नवम्बर माह में पूरी कर ली जाती है। इसके विपणन में बड़ी संख्या में व्यापारी, बिचौलियों, मिल अभिकर्ता/एजेंट, धनी किसान शामिल होते हैं। जो कृषकों से रेशा उत्पाद खरीद कर संग्रहण करते हैं तथा साल भर ऊँचे दर पर पटसन मिलों को बेच कर लाभ कमाते हैं। इस तरह एक सामान्य पटसन उत्पादक अपने उत्पाद का उचित मूल्य पाने से वंचित रह जाता है।

सरकारी कदम :

ऐतिहासिक रूप से पटसन उत्पादन कृषि जलवायु परिस्थिति के कारण पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) में तथा इसके उत्पाद के आसान विपणन के कारण पटसन उद्योग कोलकाता के आस–पास स्थित था। विभाजन के पश्चात् वर्तमान पटसन उद्योग चार चरणों से गुजरा है। प्रथम, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद (वर्ष 1947–1961) देश में अत्यधिक पटसन मिल परन्तु कम कच्चा माल (कुल उत्पादन 7 लाख बेल तथा उत्पादकता लगभग 11 कु0/है0) की स्थिति थी। द्वितीय, आत्मनिर्भरता के चरण में (वर्ष 1961–1968) उच्च उत्पादन के साथ औसत दर्जे का उत्पादकता स्तर प्राप्त किया गया (कुल उत्पादन 50 लाख बेल तथा उत्पादकता लगभग 14 कु0/है0)। तृतीय, अर्थात् ह्रास चरण में (वर्ष 1969–1979) में सस्ता सिंथेटिक उत्पाद से प्रतिस्पर्धा का आरंभ तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में देश में निम्न स्तर का उत्पादन (वर्ष 1969 में 29 लाख बेल) दर्ज किया गया। चतुर्थ अर्थात् पुनः प्राप्ति का चरण , जो कि वर्ष 1980 से अब तक जारी है। भारत सरकार द्वारा देश के प्रमुख पटसन उत्पादक राज्यों में विशेष पटसन उत्पादन का कार्यक्रम जैसे– पटसन मिलों का आधुनिकीकरण, मूल्य वर्धन एवं पटसन के विविध उत्पाद का निर्माण शुरू किया गया। वर्ष 2000 के अंत तक पटसन की उत्पादकता का स्तर बढ़कर लगभग 20 कु0/है0 हो गई है (दास एवं गोस्वामी, 2001)। वर्तमान दशक में नवीनतम कृषि तकनीकों तथा क्षेत्रफल विस्तार के कारण उत्पादकता में और भी वृद्धि (23 कु0/है0) हुई है। वर्ष 2012–.2013 में लगभग 103.4 लाख बेल का उत्पादन हुआ है।

भारत सरकार कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कास्ट एण्ड प्राइसेज (सी0ए0पी0सी0) के अनुशंषा पर वर्ष 1966–67 से पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (टी0डी0 5 श्रेणी) की घोषणा करते आ रही है। जूट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (जे0सी0आई0) की स्थापना अप्रैल 1971 में पटसन उत्पादक कृषकों के हितों की रक्षा के लिए की गई। भारत सरकार की ओर से यह मूल्य समर्थक ऐजेंसी का कार्य करती है तथा कृषकों से बिना किसी बिचौलिए के कच्चा पटसन की खरीद करती है। इस तरह यह पटसन उत्पादक कृषकों तथा समग्र पटसन आर्थिकी के हित में कच्चा पटसन विपणन को स्थिरता प्रदान करता है। पटसन उत्पादन क्षेत्रों में जे0सी0आई0 के 171 खरीद केन्द्र तथा कोआपरेटिव के सहयोग से 40 केन्द्र कार्यरत हैं। परन्तु अपने वर्तमान क्षमता के अनुरूप जे0सी0आइ0 केवल कुल पटसन उत्पादन का 15–20 प्रतिशत हिस्सा ही खरीद करने में सक्षम है। इस तरह बाकी बचे पटसन की खरीद में निजी संस्थानों या बिचौलियों की प्रभावी भूमिका होती है।

पटसन उद्योग के समग्र विकास हेतु ग्यारहवें पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने वर्ष 2007–2008 में जूट टेक्नोलाजी मिशन की शुरूआत की (www.texmin.nic.in)। इसके चार भाग–मिनी मिशन–I, मिनी मिशन–II, मिनी मिशन–III एवं मिनी मिशन–IV हैं। मिनी मिशन–I के अन्तर्गत उन्नत बीज, उन्नत उत्पादन तकनीक, पटसन के उत्पादन लागत को कम करने के लिए आई० सी० ए० आर०– केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, कोलकाता एवं आई० सी० ए० आर०– राष्ट्रीय पटसन एवं समवर्गी रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। मिनी मिशन–II के अन्तर्गत उन्नत तकनीकों का किसानों तक प्रसार कार्यक्रम द्वारा हस्तान्तरण किया जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रसार कार्यकर्ताओं, डाइरेक्टोरेट ऑफ जूट डेवलपमेन्ट, कोलकाता द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है। मिनी मिशन–III के अन्तर्गत जे०सी०आई० द्वारा पटसन उत्पादक कृषकों एवं पटसन मिलों के बीच मजबूत विपणन संयोजन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। देश के मुख्य पटसन उत्पादक जिलों में एक करोड़ रूपये के लागत से लगभग 10,000 मि० टन से अधिक क्षमता वाला दस मार्केटिंग यार्ड का निर्माण/सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अनुसार, जमीन उपलब्धता के अलावा कुल लागत का 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता तथा बाकी 40 प्रतिशत खर्च का वहन एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्केटिंग कमिटी (ए०पी०एम०सी०) द्वारा किया जाएगा। साथ ही, जे०सी०आई० द्वारा 20 अन्य विभागीय खरीद केन्द्र की स्थापना मुख्य पटसन उत्पादक राज्यों में किया जाएगा। प्रत्येक केन्द्र पर भू–लागत सहित एक करोड़ रूपया भारत सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। मिनी मिशन–IV के अन्तर्गत पटसन का विविधकरण तथा पटसन मिलों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिल आधुनिकीकरण के अन्तर्गत प्रशिक्षण द्वारा श्रमिकों व सुपरवाइजरों की उत्पादकता में वृद्धि, नये मशीनों के खरीद पर सब्सिडी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी०पी०पी०) माडल के तहत मशीन का विकास व अनुसंधान आदि शामिल है। पटसन उत्पाद के विविधिकरण के लिए डिजाइन विकास का प्रयास, पटसन आधारित गतिविधि में शामिल गैर सरकारी संस्था (एन०जी०ओ०) तथा वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को वित्तीय मदद, पटसन उत्पाद के प्रचार हेतु जूट सर्विस सेन्टर तथा जूट रो मेटेरियल बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने वर्ष 2000 में विपणन सम्बन्धी सूचना के आदान–प्रदान के लिये देश के महत्वपूर्ण विपणन केन्द्रों तथा राज्य कृषि विपणन परिषदों/निदेषालयों एवं विपणन निरीक्षण निदेषालय (डायरक्टोरेट आफ मार्केटिंग इन्शपेक्शन) के बेहतर संयोजन लिये कार्य कर रही है। इडिंया एग्रोनेट द्वारा विपणन सम्बन्धी नवीनतम पूर्वामान तथा अन्य स्त्रोतों से जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। बुनियादी स्तर पर इन सभी कदमों का प्रभाव महसूस किया जाना बाकी है।

उपरोक्त परिदृश्य में बफर स्टॉक, कोआपरेटिव विपणन का सशक्तिकरण व संविदा खेती पटसन विपणन से जुड़ी समस्याओं के समाधन में मददगार हो सकती है।

बफर स्टाक एक सरकारी योजना है, जिसके अन्तर्गत किसी विशेष कृषि सामग्री का स्टॉक (कोष) बहुतायत की दशा में उत्पादकों को उचित मूल्य सृजित की जाती है। आकस्मिक माँग या कमी की दशा में इस कोष से बाजार माँग के अनुरूप उत्पाद की आपूर्ति की जाती है। इस तरह, यह योजना अत्यधिक उत्पादन की दशा में कृषकों को तर्कसंगत मूल्य प्रदान करने के साथ–साथ कम उत्पादन या फसल नष्ट होने पर बाजार में नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। जे०सी०आई० ने वर्ष 1985–86/1986–87 में 5.28 लाख बेल का बफर स्टाक रखा था। यह उस वर्ष के उत्पादन का करीब 50 प्रतिशत हिस्सा था। वर्तमान में कृषकों एवं पटसन उद्योग के हित में इस सीमा को और भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

पटसन विपणन में अनेक गतिविधियाँ जैसे संग्रहण ग्रेडिंग (श्रेणीकरण), परिवहन व उसका वितरण शामिल होती हैं। इन सारी गतिविधियों में विभिन्न बिचौलिये जैसे–फुटकर क्रेता, थोक क्रता, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, मिल एजेंट आदि भाग लेते हैं। व्यवसाय के आकार के अनुरूप बिचौलियों की संख्या परिवर्तनशील होती है। बड़े आकार के व्यवसाय की तुलना में छोटे

आकार के व्यवसाय में अधिक बिचौलिए होते हैं। पटसन मिल बड़े आकार के व्यवसाय व्यक्तियों/संस्था जैसे–ब्रोकर, मिल एजेन्ट से कच्चे माल की खरीद करते हैं। सामान्यतया छोटा (रेशा उपज 5 कु0 तक) तथा मध्यम (रेशा उपज 5–10 कु0) उत्पादक विपणन के लिए किसान–फुटकर क्रेता–थोक क्रेता–कमीशन एजेंट–मिल या किसान–थोक क्रेता –कमीशन ऐजेंट–मिल के माध्यम का उपयोग करते हैं । बड़े कृषकों की दिलचस्पी पटसन उत्पादन के बजाय उसे छोटे कृषकों से खरीद कर भविष्य में अधिक मूल्य पर बेच कर लाभ कमाने में ज्यादा होती है। परन्तु एक सामान्य कृषक कोआपरेटिव के माध्यम से इन सारी गतिविधियों को बिना किसी बिचौलियों के पूरा कर सकता है। साथ ही वह अपने उत्पाद को कोआपरेटिव के द्वारा पटसन मिलों को बड़े आकार में प्रत्यक्ष रूप से बेच भी सकता है।

भारत में कृषक कोआपरेटिव का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। देश में करीब 2,60,000 गैर वित्तीय प्राथमिक समितियाँ 250 लाख सदस्यों के साथ करीब 700 अरब रूपये का कारोबार कर रही है। तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में व्यवसायिक फसलों जैसे–कपास, गन्ना की 75 प्रतिशत से ज्यादा की बिक्री कोआपरेटिव के माध्यम से की जाती है। चूँकि पटसन भी कपास एवं गन्ना के समान एक व्यवसायिक फसल है। इसी तर्ज पर पटसन कृषक कोआपरेटिव में पटसन उत्पादक एवं सरकारी प्रतिनिधि हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बेनफेड (वेस्ट बंगाल स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड) जे0सी0आई0, पटसन मिलों के लिए विपणन का कार्य कर रही है। अन्य पटसन उत्पादक राज्यों में कोआपरेटिव विपणन समितियों का सशक्तिकरण व विस्तारीकरण समय की माँग है।

अन्य कोआपरेटिव संचालन के अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ है कि सबसे पहले गतिविधि की शुरूआत किराये के स्थान पर करनी चाहिए। इससे उनकी कार्यशील पूंजी अचल सम्पति में नहीं फँसेगी। कार्यालय व अन्य सुविधा पर खर्च व्यवसाय के अनुरूप होना चाहिए। गुणवत्ता वाले उत्पाद की खरीद करनी चाहिए। गैर सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके उत्पाद को भी खरीदना चाहिए। पटसन कोआपेरेटिव के सुचारू संचालन के लिए इन सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा कान्ट्रैक्ट फार्मिंग (संविदा खेती) पटसन रेशा विपणन का एक अन्य विकल्प है। भारत में संविदा खेती की शुरूआत ब्रिटिश राज में नील व अफीम को ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए हुई थी। देश में पिछले चार दशकों से बीज कम्पनियों द्वारा इसी तरीके से बीज का उत्पादन किया जा रहा है। नई कृषि नीति, वर्ष 2000 के अनुरूप अनेक कारपोरेट घरानों ने समय पर गुणवत्तायुक्त व उचित मूल्य पर कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उत्पादक कृषकों के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए संविदा खेती का माडल विकसित किया है। इन विभिन्न माडलों की प्रकृति व शर्त फसल के प्रकार, किसानों की संख्या, इस्तेमाल होने वाले तकनीक व इसकी संदर्भ में जारी प्रथा पर निर्भर करती है । प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007 तक देश में कुल 4,25,834 है0 (www. Indiastat.com) में संविदा खेती की जा रही थी । इस व्यवस्था के तहत सबसे ज्यादा खेती तमिलनाडु में की जा रही थी । सबसे पहले बड़े पैमाने पर पेप्सीको द्वारा पंजाब में वर्ष 1989 में टमाटर की सफल संविदा खेती के बाद इसे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना के तकनीकी सहयोग से लगभग 6,000 है0 में अन्य फसलों जैसे–बासमती चावल, मिर्च, मूँगफली व आलू में लागू किया गया । वर्ष 2001–02 में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (हि0ली0लि0), रैलीज व आई0 सी0आई0सी0 बैंक ने मिल कर मध्यप्रदेश में 5,000 है0 में गेहूं के डयरम प्रकार की उपज सफलतापूर्वक खरीद की । इस तरह हि0ली0लि0 ने अपने खादय प्रसंस्करण इकाई के लिये निश्चित खरीद की सुविधा प्रदान की । रैलीज ने कृषि आगत तथा आई0 सी0आई0सी0 बैंक ने कृषि ऋण के लिये वित्तीय मदद उपलब्ध कराया । कम्पनी द्वारा बिना किसी बिचौलिये के कृषकों से 15 प्रतिशत कम लागत पर गेहूं की खरीद की गई। इस राशि का वितरण विक्रेता कृषकों के बीच उत्पाद के हिसाब से प्रेरणा के तौर पर हस्तांरित की गई । इस विधि से हि0ली0लि0 को दक्ष आपूर्ति श्रृखंला से तथा रैलीज व आई0 सी0आई0सी0 बैंक को निश्चित उपभोक्ता को उत्पाद व सेवा प्रदान कर लाभ प्राप्त हुआ ।

वर्ष 2002 में, अपाची काटन कम्पनी (ए0सी0सी0) ने तीसरे वर्ष भी लगातार मॉनसून के विलम्ब रहने पर तमिलनाडु के अनेक जिलों में करीब 600 कृषकों को समेकित कपास उत्पादन (इन्टेगरेटड काटन कल्टीवेशन) के लिये प्रेरित किया । कम्पनी ने कृषकों को कपास खरीद की निश्चित गारन्टी दी । इस तरह करीब 260 है0 में कपास उत्पादन का कार्य आरंभ हुआ । इस योजना में शामिल कपास उत्पादकों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ । देश में पहली बार कपास उत्पादक कृषक सीधे वस्त्र उद्योग से जुड़े। कम्पनी द्वारा की गई पहल कृषकों के लिये वरदान साबित हुई, क्योंकि कृषकों के पारम्परिक वित्तीय स्त्रोतों ने पिछला बकाया ऋण के भुगतान न मिलने पर नया ऋण देने से मना कर दिया था । इस फार्मूला के केन्द्र बिन्दु में कृषकों द्वारा स्वयं सहायता समूह का निर्माण था । कम्पनी ने कोआर्डनेटिंग एजेन्सी के माध्यम से फसल अवधि (100 दिनों तक) के दौरान सदस्य कृषकों को वित्त व जरूरी कृषि सामग्री उपलब्ध करवाया । कृषकों ने समूह के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया । कम्पनी ने कोआर्डनेटिंग एजेन्सी के माध्यम से कृषकों के समूह को गुणवत्तायुक बीज, गैर मिलावटी उर्वरक की आपूर्ति, पौध संरक्षण रसायन के खरीद पर छूट, विशेषज्ञ की सलाह, 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर कृषि ऋण, प्रत्येक सप्ताह के अंतराल पर खेत का निरीक्षण आदि सुविधा उपलब्ध कराया । समझौता ज्ञापन में स्पष्ट रूप से खुली नीविदाधनिलामी में अपनाये जाने वाले भुगतान शर्तों के साथ कोआर्डनेटिंग एजेंसी को कार्यवाही में भाग लेने का दिशा–निर्देश का उल्लेख किया गया । शुरूआत में ही समूह, बैंक व कोआर्डनेटिंग एजेन्सी के हितों की रक्षा तथा उपद्रवी कृषकों के पहचान व निष्काषन के लिये नियंत्रण एवं संतुलन के तौर–तरीके बनाये गये। अन्य संविदा खेती के माडल से भिन्न मूल्य निर्धारण के मोर्चा पर कम्पनी द्वारा पहले से घोषित करने से परहेज किया गया। चूंकि कपास के मूल्य में उतार–चढ़ाव अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं तथा ऐसा करने से अनिश्चितता का माहौल बन सकती थी ।

अपाची मॉडल में जरूरी सुधार के साथ पटसन उत्पादन व विपणन के लिये इसे अपनाया जा सकता है । इस माडल में कृषक, पटसन मिल तथ वित्त संस्थानों की सहभागिता हो सकती है । पटसन के प्रभावी विपणन के लिये कृषक समूह, पटसन मिल, वित्तीय संस्थान तथा कोआर्डनेटिंग इकाई (पटसन मिल की ओर से) की साक्रिय सहभागिता आवश्यक है । पटसन की खेती अधिकतर अल्प साधन वाले सीमान्त कृषकों द्वारा की जाती है, जिनका विक्रय अधिशेष सामान्यतः 5–10 कु0 तक सीमित होते हैं । अधिक लाभ के लिये वे इस कम मात्रा वाले उत्पाद को उत्पादक सीधे पटसन मिल को नहीं बेच सकते हैं। विपणन श्रृखंला में बिचौलिये शामिल हो जाते हैं जो इन कृषकों से रेशा उत्पाद खरीद कर भविष्य में ऊँचे मूल्य पर लाभ के साथ माल को बेच देते हैं। इस तरह बिचौलिये व पटसन मिल पटसन के विपणन में प्रभावी भूमिका निभाते है। पटसन उत्पादक कृषकों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आगे आना होगा। यह समूह कृषि आगतों का एक सम्मिलित माँग पत्र तैयार करने के साथ–साथ पटसन उत्पादन से जुड़ा रहेगा। कृषि आगतों की माँग का आकलन पटसन मिल विशेष के आवश्यकता पर निर्भर करेगा। एक स्वयं सहायता समूह को पटसन मिल के आवश्यकतानुसार एक ही प्रजाति के रेशा का उत्पादन करना चाहिए। इस तरह पटसन उत्पादन के लिये क्षेत्र विशेष का चयन, पटसन मिल द्वारा उठाया गया पहला कदम होगा। वर्तमान में देश के 90 जिलों में पटसन का उत्पादन हो रहा है, जिसमें से 33 जिले पटसन उत्पादन के हिसाब से दक्ष हैं। ये जिले पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया, मुर्शीदाबाद, कूचबिहार, पश्चिम दिनाजपुर हैं, जिनमें कुल पटसन उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्रफल स्थित है। इन जिलों से पटसन उत्पादक किसानों का समूह इच्छुक पटसन मिल से समझौता ज्ञापन पर इस्ताक्षर कर सकता है। अन्य पटसन उत्पादक राज्यों में इसी तरह के प्रयास अपेक्षित है। पटसन मिलों द्वारा मार्च माह के अंतिम सप्ताह में समूह के सदस्यों को भुगतान के आधार पर गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना चाहिए। कृषि आगतों का लागत मूल्य अनुपातिक रूप से कृषकों द्वारा व्यक्तिगत रूप में वहन करना चाहिए । इसकी खेती एक श्रम प्रधान उत्पादन प्रणाली है, जिसमें सर्वाधिक श्रमिकों की आवश्यकता निराई (बुवाई के तीसरे व चौथे सप्ताह एवं छठे व सातवें सप्ताह बाद) तथा सड़न व रेशा निष्कर्षण (बुवाई के सोलहवें–सतरवहें सप्ताह के बाद) के समय होती है । औसतन, निराई व कटाई

(सड़न व रेशा निष्कर्षण सहित) में कुल उत्पादन लागत (लगभग 60,000–70,000 रु0/है0) का लगभग 25 प्रतिशत एवं 46 प्रतिशत हिस्सा खर्च होता है। कृषकों को वित्तीय संस्थानों द्वारा इन गतिविधियों को पूरा करने के लिये नगद राशि (ऋण के रूप में)उपलब्ध करायी जानी चाहिए। पटसन मिल द्वारा रेशों की न्यूनतम समर्थन मूल्य से उपर वापसी खरीद प्रक्रिया समूह के सदस्यों को आपात बिक्री से बचायेगी। यह मिलों को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिशचित करेगा । पटसन के सुरक्षित संरक्षण हेतु सामुदायिक गोदाम व खरीद केन्द्र की स्थापना करनी चाहिए। इस सुविधा को निर्माण उपलब्ध सरकारी योजना के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। इस सरकारी सम्पति का इस्तेमाल मिल किराये पर नगद भुगतान के आधार पर अल्प अवधि के लिये कर सकती है। कृषकों के व्यक्तिगत उत्पाद की परिवहन व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्वयं सहायता समूह के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

मिल द्वारा पटसन उत्पादन के लिये सघन प्रसार पटसन उत्पादक कृषकों में आत्मविश्वास पैदा करेगा। पटसन के अधिक एवं किफायती उत्पादन के लिये यह प्रयास विभिन्न सरकारी, शोध व विकास संस्थानों के बीच एक मजबूत कड़ी स्थापित करेगा। पटसन उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिये पटसन मिल एक नोडल अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। उसे स्थानीय पटसन उत्पादन क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पटसन उत्पादन की नवीनतम तकनीकों जैसे–खरपतवार का यात्रिंक एवं शाकनाशी विधि द्वारा नियंत्रण, उन्नत एवं कम लागत वाली सड़न विधि, अल्प जल की दशा में रेशा निष्कर्षण आदि की जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रशिक्षण द्वारा कृषकों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि की जा सकती है। इन तकनीकों को अपनाने से उत्पादन लागत में कमी के साथ–साथ रेशा उपज में वृद्धि होगी। इस तरह यह पटसन उत्पादकों के लिये लाभप्रद पेशा साबित होगा।

उपरोक्त माडल की सफलता चयनित क्षेत्र, स्वंय सहायता समूह के निर्माण, समय पर कृषि आगतों की आपूर्ति, कृषि ऋण की उपलब्धता, कृषकों द्वारा स्वीकार्य मूल्य पर रेशा उपज की बिक्री, कृषकों के सशक्तिकरण, स्वंय सहायता समूह में शामिल सदस्यों के आपसी सहयोग व सौहार्द्रता आदि पर निर्भर करेगी। प्रतिकूल अर्थात् घाटे की परिस्थिति में किसी एक पक्ष द्वारा शर्त उल्लंघन की संभावना अधिक होती है। उन संभावित कारणों का निदान कर समस्या का हल पाया जा सकता है। इस तरह दोनों पक्षों की आपसी समझदारी व दूर–दृष्टि ही पटसन उद्योग के हित में है।

निष्कर्षः

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है, कि बुनियादी स्तर पर सरकारी प्रयास को कोआपरेटिव तथा समर्थन मूल्य के माध्यम से और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है। पटसन मिल द्वारा संविदा खेती का प्रयास पटसन उत्पादक कृषकों के विपणन सम्बन्धी मूल–भूत समस्याओं को हल करने में मददगार होगी। इन कदमों से पटसन के मूल्य में स्थिरता आयेगी जो अतोंगत्वा कृषक समुदाय, पटसन उद्योग व राष्ट्र के लिये लाभदायक होगी।

सन्दर्भः

दास बी.बी. एवं गोस्वामी के.के. (2001) जूट एण्ड मेस्ता स्टैटिस्टीक्स क्रीटीकल एनालिसिस, ए.आई.सी.आर.पी. आन जूट एण्ड एलाइड फाइबर्स बैरकपुर 700120, पश्चिम बंगाल

एनान (2014) जूट एडवाइजरी बोर्ड, मिनिस्ट्र आफ टेक्सटाइल्स, गवर्मेन्ट आफ इण्डिया

एनान (2007) स्टेटवाईज एरिया अंडर कान्ट्रेक्ट फार्मिंग इन इण्डिया www.Indiastat.com

एनान (2007) जूट टेक्नोलाजी मिशन www.texmin.nic.in